

हल्द्वानी वन प्रभाग का विस्तार तथा क्षेत्रफल:— हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी लगभग 64 किमी² लम्बी पट्टी के रूप में स्थित है। इसके उत्तर में नैनीताल एवं चम्पावत वन प्रभाग, दक्षिण में तराई पूर्वी वन प्रभाग, पूर्व में

नेपाल-शारदा नदी एवं टनकपुर नगर स्थित है तथा पश्चिम में हल्द्वानी नगर तथा रामनगर वन प्रभाग स्थित है।

प्रभाग अन्तर्गत उप वन प्रभाग, रेंजों बीटों तथा वन क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है—

उप वन प्रभाग	रेंज का नाम	बीटों की संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
नन्धौर	छकाता	16	9336.82
	नन्धौर	15	13355.80
	जौलासाल	17	15757.40
शारदा	डांडा	13	13459.30
	शारदा	10	7672.80
	योग	71	59578.80

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी का सम्पूर्ण क्षेत्र शासनादेश संख्या 1777 / 1-(2) एफ० आर० डी० / 2002-19 / 2002 दिनांक 28.10.2012 वन और पर्यावरण अनुभाग-2 के अनुसार शिवालिक हाथी रिजर्व में स्थित है।

प्राणी जगत:-

प्रभाग में मुख्य रूप से निम्न वन्य प्राणी पाये जाते हैं।

हाथी, गुलदार, चीतल, साभर, भालू, काकड़ घुरड़, नीलगाय, बन्दर, लंगूर, जंगली सुअर, खरगोश आदि।

शिवालिक हाथी रिजर्व के प्रभागीय हिस्से की समस्यायें:-

सामान्यतया हाथियों का आवागमन रामनगर वन प्रभाग की ओर से तराई केन्द्रीय एवं तराई पूर्वी के वन क्षेत्रों से होते हुए प्रभाग अन्तर्गत टनकपुर के वन क्षेत्रों की ओर होता है। रामनगर से टनकपुर तक वन क्षेत्र हाथियों का नैसर्गिक वास स्थल है किन्तु वर्तमान में यह मार्ग बिन्दुखत्ता के कारण अवरुद्ध हो गया है।

विगत कुछ वर्षों से हाथियों का कोरिडोर एवं वन्य जीवों का इस हिस्से में स्वच्छन्द विचरण निम्न कारणों से बाधित होता है।

1- नैसर्गिक वास स्थल की निरन्तरता न रह पाना:- अत्यधिक सड़कों के निर्माण एवं उन पर वाहनों के अत्यधिक आवागमन से हाथियों एवं अन्य वन्य जीवों के वास स्थल में निरन्तरता नहीं रह पायी है। इसी के साथ-साथ प्रभाग के पश्चिमी भाग में तराई पूर्वी प्रभाग से मिले हुए भू-भाग में बिन्दुखत्ता, मोटाहल्दू, हल्दूचौड़ एवं लालकुआं आदि स्थानों में आबादी के अत्यधिक बढ़ जाने से हाथियों का कोरिडोर में निर्वाध आवागमन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

92

2- चारा एवं जल उपलब्धता में कमी:- भावर क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत, नदी/नालों में वर्ष के कुछ महीनों तक ही पानी की उपलब्धता रह पाने के कारण हाथियों एवं अन्य जीवों हेतु जल उपलब्धता तथा अत्यधिक जैविक दबाव के कारण वनों के मध्य वितान में वनस्पतियों की कमी से हाथियों हेतु चारा उपलब्धता में अत्यधिक कमी आयी है जिससे हाथी एवं अन्य वन्य जीव कृषि खेतों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।

3- मानव हाथी संघर्ष:- वन क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता में कमी होने से एवं ऐलीफेंट कोरीडोर के खंडन होने से हाथी चारे हेतु कृषि की ओर आने के लिए बाध्य होते हैं। विगत वर्षों में जंगली हाथियों द्वारा ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनायें लगातार प्रकाश में आयी हैं। हल्द्वानी वन प्रभाग के अधिकतर क्षेत्र बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण 5 से 6 माह तक के लिए आवागमन हेतु कटा रहता है। हाथियों का यह प्राकृतिक आवास भी सुरक्षित नहीं है। वन प्रभाग की सीमा पर बसे कतिपय वन अपराधी वन्य जीवों के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। वन्य जीवों से स्थानीय लोगों की कृषि भूमि को होने वाले नुकसान से जन सामान्य का झुकाव वन्य जीव संरक्षण पर न होकर उन्हें क्षति पहुंचाने में हो सकता है।

उपरोक्त स्थिति की गंभीरता का माह जून 2007 का उदाहरण देना पर्याप्त होगा कि एक हाथी ने वाचर एवं एक ग्रामीण की हत्या कर दी साथ ही वन कर्मियों के आवास को बार-बार नुकसान पहुंचाया तथा नर्सरी आदि को रौंद दिया।

4- योजना अवधि:- वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु योजना अवधि तीन वर्ष है।

5- प्रस्तावित कार्य :- हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी में प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित उक्त योजना में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) हाथी एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एवं अवैधपातन / खनन रोकने हेतु गस्ती वाचर(दैनिक श्रमिक)

(2) हेबिटेट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्राकृत वास के सुरक्षा हेतु चारा प्रजाति का रोपण।

(3) वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत वाटर हौल- / चाल- खाल का निर्माण।

(4) मानव एवं वन्य जीवों के संघर्ष की रोकथाम हेतु सुअर रोधी दीवार निर्माज्ञा

(5) वनों की सुरक्षा हेतु गस्ती दल के आवास निर्माण।

(6) गस्त हेतु वन मार्गों का जीर्णोद्धार।

(7) गस्ती दल वाहनों की मरम्मत / डीजल आदि पर व्यय।

(8) गस्ती दल कर्मचारियों हेतु इक्यूपमेन्ट कय करना।

(9) जागरूकता प्रशिक्षण।